निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 82 / 2023
दायरा दिनांकः–06.9.2023
निर्णय दिनांकः– 29.1.25

उनवान

1. राजेन्द्र कुमार आयु 38 वर्ष पुत्र स्व0 हरनारायण जाति धाकड
2. राकेश कुमार आयु 34 वर्ष पुत्र स्व0 हरनारायण जाति धाकड
3. सुनिता बाई आयु 35 वर्ष पुत्री स्व0 हरनारायण जाति धाकड
4. पानाबाई आयु 59 वर्ष पत्नि स्व0 हरनारायण जाति धाकड निवासीगण बडौदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राकिशन आयु 48 वर्ष पुत्र माणकचन्द जाति धाकड निवासी हनुवतखेडा
2. बाबूलाल आयु 52 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
3. जगदीश आयु 55 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
4. चमेलीबाई आयु 58 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
5. नर्बदीबाई आयु 59 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
6. बिरधी बाई आयु 61 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
7. भूलीबाई आयु 63 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
8. बृजमोहन आयु 44 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
9. गुलाबचन्द आयु 42 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
10. अनीताबाई आयु 40 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
11. चमेलीबाई आयु 46 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया
12. रीनाबाई आयु 48 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बडौदिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट
निर्णय दिनांकः– 29.1.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भगवान बलरिया– प्रार्थी
2. राकेश कुमार गालव – अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम बडोदिया तहसील छबडा की कृषि आराजी खसरा न.32 / 1 रकबा 1.0117 हेक्टर जो वादीगण के पिता / पति स्व. हरनारायण पुत्र औकार जाति धाकड के खातेदारी मे अवस्थित है। स्व. हरनारायण जी की मृत्यु दिनांक 11–8–2022 को हो चुकी हैं। बादीगण ही मृतक खातेदार स्व. हरनारायण के वैध वारिस – कायममुकामान है। खातेदार स्व. हरनारायण की मृत्यु के पश्चात् से ही

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वर्तमान मे वादीगण उनकी उक्त भूमि पर बहेसियत कायममुकामान, वारिस खातेदार मालिक काबिज चले आ रहे है। मृतक खातेदार स्व. हरनारायण के फौती इन्तकाल खुलवाने की कार्यवाही तहसील छबडा मे चल रही है। वादीगण के पिता / पति स्व. हरनारायण अपनी खातेदारी की उक्त कृषि आराजी खसरा न. 32/1 रकबा 1. 0117 हेक्टर वाके माल ग्राम बडोदिया पर आने जाने का एक मात्र 14 फिट चोडा 60–65 साल पुराना रास्ता भूमि खसरा न. 29/2, 29/3 व खसरा न. 30 की मध्य वाली मेढ़ के सहारे 14 फिट चोडा रास्ता प्रतिवादीगण के हिस्से वाली भूमि में से होकर वादी / प्रार्थी के खेत तक अवस्थित है जो आगे जाकर झरखेडी रोड से वादी के खेत तक जाता हैं जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी व उनके परिजन व आस–पास के खेत वाले अपनी–अपनी कृषि भूमि पर आने–जाने कृषि उपज, यन्त्र व मजदूर बैलगाडी, टेक्ट्रर–ट्रोली के लाने–ले जाने के रूप मे निरन्तर 60–65 सालो से अधिक समय से नियमित रूप से बिना किसी बाधा करते चले आ रहे हैं उक्त रास्ता 14 फिट चोडा को प्रा. पत्र के प्रस्तुत नजरी नक्शे में बिन्दु ।ठब लालस्याही से प्रदर्शित किया गया है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अंग हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जानबूझकर जबरन बलपूर्वक व कपट पूर्वक अवैध रूप से वादीगण को परेशान कर उक्त रास्ता वादीगण ABC जो 14 फिट चोडा को बन्द करना चाहते हैं। वादीगण अपनी कृषि भूमि खसरा न. 32/1 में आने जाने हेतु जब आस–पास के खेतो में फसल होती है तो वादीगण उनके मजदूर व मवेशी भूमि खसरा न. 30 व खसरा न. 29/2 व 29/3 की मध्य वाली मेढ पर होकर पैदल आत–जाते है। जानवरो से सुरक्षा हेतु अस्थायी टाटा (लकडी के डन्डो का गेट) लगाते हैं। उक्त पैदल रास्ते को नजरी नक्शे में बिन्दु EF लालस्याही से प्रदर्शित किया गया है। वादीगण की उक्त भूमि खसरा न. 32/1 में आने जाने हेतु रास्ता केवल मात्र प्रतिवादीगण की खसरा न. 29/2,29/3 व खसरा न. 30 एवं उनकी मध्य वाली मेढ के सहारे 14 फिट चोडा रास्ता हैं जो उनकी खातेदारी का होने के कारण प्रतिवादी बार–बार वादीगण को आने–जाने से अकारण रोकते हैं इसलिए वादीगण विधिवत रास्ता चाहते हैं। प्रतिवादीगण वादीगण को खेत की मेढ पर भी पैदल आने–जाने से रोकते है। जबकि वर्तमान में मौके पर मेढ बनी हुई हैं जिसमे टाटा लगाकर अस्थायी बन्द करते रहते हैं जिसके कारण वादीगण को अपनी भूमि पर कृषि कार्य हेतु खेत आने–जाने में परेशानी हो रही है। वादीगण मेन रास्ता रोड अवस्थित है जिसके सहारे प्रतिवादीगण की भूमि अवस्थित है। जिसम होकर वादीगण का रास्ता आज भी मौके पर मौजूद है। उक्त रास्ते का वादीगण शान्तिपूर्वक उपयोग एव उपभोग करते हुऐ वादीगण अपने खेतो मे आते–जाते रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 9.7.2023 को प्रतिवादीगण क्रम 1,2 व 8,9 द्वारा अपनी भूमि मे रास्ते में स्थान पर अस्थायी तोर पर लकडी के डन्डों का टाटा लगाकर वादीगण को अपने खेतो व मकान पर आने–जाने से मना कर रोकने का असफल प्रयास किया। प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते वादीगण को विवादीत रास्ते से हो आने–जाने पर प्रतिवादीगण अपने खेतो मे उक्त आक्रोश में आकर वादीगण को मां बहन की गन्दी गन्दी गालीयां देते हुऐ प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हाथ पैर काट देने तथा जान से खत्म करने व भविष्य में उक्त रास्ते पगडन्डी पैदल वादीगण को बन्द करने की धमकी दी। वादीगण द्वारा अपनी कृषि आराजी खसरा न. 32/1 पर आने–जाने हेतु जो भी सुगम रास्ता प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि की मेढ के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सहारे 14 फिट चोडा रास्ता चाहता हैं जिसके लिए उचित कानूनी प्रतिकर अदा करने को तैयार है। वादीगण का अपनी भूमि पर आने–जाने व कृषि कार्य हेतु कृषि यन्त्र मजदूर टेक्ट्रर–ट्रोली लाने–ले जाने उक्त विवादीत रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तथा वर्तमान मे पूर्व स्थापित रास्ते मे प्रतिवादीगण द्वारा जो अस्थायी टाटा में होकर वादीगण को उनके खेत मे आने–जाने से नही रोने हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वैधानिक अधिकारी है।प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उक्त विवादीत रास्ते ABC की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया तो परिणाम स्वरूप वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव है। अकारण ही वादीगण को कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उक्त विवादीत रास्ते ABC रास्ते मे से अस्थायी टाटा को हटाने व रास्ते को खुलासा रखने बाबत् कई बार समझाया गया वादीगण द्वारा इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 12 की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में शपथ पत्र नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 102 मृत्यु प्रमाण पत्र हरनारायण नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 79 नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 28 नकल जमाबन्दी ग्राम बडौदिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 93 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बडौदिया तहसील छबडा में स्थित है। जो वादीगण के पिता हरनारायण के खातेदारी में थी। हरनारायण की मृत्यु हो गयी है प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का रास्ता 14 फिट चौडा 60–65 साल से से भूमि खसरा नम्बर 29/2, 29/3 व खसरा नम्बर 30 की मध्य वाली मेढ के सहारे 14 फिट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण के हिस्से वाली भूमि में से प्रार्थी के खेत तक अवस्थित है जो झारझेडी रोड से वादी/प्रार्थीगण खेत तक जाता है जिसका उपयोग आस पास के खेत वाले प्रार्थी के परिवार जन करतें चले आ रहे थे। अप्रार्थीगण जानबुझ कर उक्त 14 फिट चौडा रास्ते को बन्द करना चाहतें है जिससे प्रार्थीगण की भूमि बंजड रह जायेगी। प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आने जाने हेतु सुगमा रास्ता चाहता है अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजीर की मेढ के सहारे 14 फिट चौडा रास्ता चाहता है जिसके लिए उचित कानूनी प्रतिकर अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार तहसीलदार को पक्षकार नही बनाया है जो आवश्यक पक्षकार हे बाद प्रथम दृष्टश सी0पी0सी के प्रावधानों का उल्लघन होने से खारिज किये जाने योग्य हे वाद पत्र में वाद कारण अंकित नही होने के कारण सी0पी0सी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

के प्रावधानों का उल्लघंन होने के बाद खारिज किये जाने योग्य हे खसरा नम्बर 29/1, 29/2, 29/3 के बगल (साईड) के कांकड सरकारी भूमि जिस पर प्रार्थीगण ने कब्जा करने आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है प्रार्थी रंजिश वश रास्ता मांगने के नाम पर झुठे तथ्यों के आधार बना कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जब तक वैकल्पिक रास्ता मौजुद हो ऐसी स्थिति में किसी खातेदार की भूमि मे से रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थीगण को नया रास्ता लेने का कोई अधिकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने बताया कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार, राकेश कुमार के खेत की भूमि 32/1 पर पहुचे रास्ते का मौका देखा गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 29/2, 29/3 तथा खसरा नम्बर 30 के मध्य वाली मेड पर होकर 14 फिट चौडा रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 29/2 च 30 के मध्य से डामर सडक छबडा से झरखेडी निकली हुई है। प्रार्थी डामर सडक से अपने खसरा नम्बर 32/1 तक पहुचने के लिए 29/2, 29/3 तथा 30 कि मध्य मेड से 14 फिट रास्ता चाहता है तथा 2 वर्ष पूर्व प्रार्थी इसी रास्ते से आते जातें थे। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में भी नजरी नक्शा में यही रास्ता बताया है मौका देखने पर पाया कि उक्त रास्ता लघुत्तत नही है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। यह विचारणीय हे कि प्रार्थना पत्रानुसार प्रार्थी भूमि के खातेदार कृषक नहीं है। धारा 251ए के तहत अनुतोष चाहने का अधिकार केवल खातेदार कृषक को है। दूसरा, वादी द्वारा चालू 14 फिट रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो धारा 251 (मार्गाधिकार व सुखाचार) के तहत सक्षम न्यायालय तहसीलदार छबडा के समक्ष पेश होना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम रास्ता भी नही है एवं अन्य वैकल्पिक रास्तो के लिए प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित खसरो के खातेदार कृषकों को पक्षकार भी नही बनाया गया है। अतः ऐसी स्थिती मे प्रार्थी को चाहा गया अनुतोष प्रदान करना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: **क्रियात्मक आदेश** ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251ए चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा